



2026:AHC:64347

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9487 / 2026

देवल्ली उर्फ देवकी

...आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी पक्ष (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : महेनम हारून, प्रथम गौड़, राजेश कुमार यादव

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री नार्गेन्द्र कुमार मिश्रा को सुना गया।

2. विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- जुनावई, जिला- संभल के केस अपराध संख्या 428/2025 (धारा 105, 115(2), 352, 351(3), 329(3), 191(2), 191(3), 190 बी.एन.एस.) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना 06.11.2025 को घटित होना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) 15.11.2025 को दर्ज की गई थी। यह विलंब अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। प्रारंभ में, प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 103(1), 115(2), 352, 351(3) और 329(3) बी.एन.एस. के तहत दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान, धारा 103(1) बी.एन.एस. को

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हटा दिया गया और धारा 105, 191(2), 191(3) और 190 बी.एन.एस. जोड़ी गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक पर ग्यारह नामजद अभियुक्तों और 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के साथ सूचनाकर्ता के भाई के साथ मारपीट करने का आरोप है। सूचनाकर्ता के भाई ने 14.11.2025 को चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को छह चोटें आई थीं। चोट संख्या 1 और 2 सिर पर थीं, जबकि अन्य चोटें दाहिनी जांघ, पेट के बाईं ओर, बाईं बांह और छाती के दाहिनी ओर थीं। चिकित्सक की राय में, मृत्यु का कारण सिर की 'अंतिम मृत्यु' चोटों के कारण कोमा और शॉक है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक को एक अस्पष्ट और सामान्य भूमिका सौंपी गई है। आवेदक को मुख्य अपराधी के रूप में नामित नहीं किया गया था, जिसने सिर की चोटें पहुंचाई थीं। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त तिरमल उर्फ रूपकिशोर को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10111/2026 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदक समानता का दावा करता है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को शपथ पत्र के पैराग्राफ 22 और 23 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक 16.01.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन रिकॉर्ड से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक ढंग से खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड का परिशीलन करने के बाद, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक पर ग्यारह नामजद अभियुक्तों और 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के साथ सूचनाकर्ता के भाई के साथ मारपीट करने का आरोप है। सूचनाकर्ता के भाई ने 14.11.2025 को चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक को छह चोटें आई थीं। चोट संख्या 1 और 2 सिर पर थीं, जबकि अन्य चोटें दाहिनी जांघ, पेट के बाईं ओर, बाईं बांह और छाती के दाहिनी ओर थीं। चिकित्सक की राय में, मृत्यु का कारण सिर की अंतिम मृत्यु चोटों के कारण कोमा और शॉक है। आवेदक को एक अस्पष्ट और सामान्य भूमिका सौंपी गई है। आवेदक को अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुख्य अपराधी के रूप में नामित नहीं किया गया था, जिसने सिर की चोटें पहुंचाई थीं। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त तिरमल उर्फ रूपकिशोर को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है। इसके अलावा, आवेदक दो महीने से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई आशा नहीं है, विशेष रूप से तब जब राज्य द्वारा ऐसी कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा या विचारण में देरी करेगा या गवाहों को डराएगा; इसलिए, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- **देवल्ली उर्फ देवकी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए कि वह:-

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

28 मार्च, 2026

एलबीएम

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।